9

गिन्नियों का प्रकरणः

हमारे परिवार में परिवहन, पेट्रोल टंकी और मोटर पार्ट्स का विक्रय, हुंडियाना और कर्ज लगाने आदि के विविध व्यवसायों के होते हुए भी वस्त्र-व्यवसाय मुख्य था और उसीके कारण इतनी संपत्ति अर्जित की गयी थी। उसमें दुहरा लाभ भी होता था। जमींदारों के, जहाँ लाखों रुपये हमारे यहाँ बिना-ब्याज या अत्यंत अल्प ब्याज पर जमा रहते थे, वहीं उनके घरों में विवाह आदि के आयोजन में सारा कपड़ा हमारे यहाँ से ही जाता था। राजरजवाड़ों के यहाँ तथा बुद्धगया के महंत के यहाँ, जो स्वयं एक रजवाड़े से कम नहीं था, सारा कपड़ा हमारे यहाँ से ही खरीद होता था। मुझे याद है कि दशहरे के समय जब महंतजी के यहाँ 3-4 सौ संन्यासियों के लिए नये वस्त्र खरीदे जाते थे और मठ में एक बड़ा आयोजन होता था तो मैं जरी की कामदार टोपी पहने हाथी पर बैठकर उसके जुलूस में शरीक होता था। महंतजी हर दशहरे पर मुझे एक गिन्नी का उपहार देते थे। उन दिनों गिन्नी की कीमत 13 रुपये थी और वह गिन्नी मुझे उसी प्रकार दी जाती थी जैसे आज किसी बड़े मेहमान के बालक को हम दस रुपये मिठाई खाने को दे दें। हमारी कपड़े की तीन बड़ी-बड़ी दुकानें थीं जिन्हें बड़ी दुकान, छोटी दुकान और स्टोर के नाम से पुकारा जाता था। बड़ी दुकान से मुझे चार आने प्रतिदिन हाथखर्च के मिलते थे और स्टोर का मुनीम एक आना प्रतिदिन देता था। मेरे नाश्ते के लिए तो एक आना ही बहुत था इसलिए मैं बड़ी दुकान के मुनीम से हर महीने साढ़े सात रुपये ले लेता था और दो महिने के रुपये जमा होते ही 13 रुपयों में एक गिन्नी खरीद लेता था। मैंने इस प्रकार 15 गिन्नियाँ एकत्र कर ली थीं। उन दिनों गया में गोपाष्टमी का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकला करता था। एक बार उसमें अपने घर की मोटर पर मैं भी जाने को चल पड़ा और शान के मारे अपनी 15 गिन्नियाँ भी अपने कोट की जेब में रख लीं। मेरे पिता ने मुझे गिन्नी ले जाने से बहुत मना किया पर मैं तो, जैसा मैं कह चुका हूँ, बचपन में बहुत जिद्दी था, मैंने उनकी बात नहीं मानी। फल वही हुआ। जुलूस जब अपने लक्ष्य स्थान, गौरक्षणी तक रात के 12 बजे पहुँचा तो मैं बीच में ही मोटर में सो गया। सबेरे मैंने देखा

तो वह मनीबेग जिसमें मैं गिन्नियाँ लेकर गया था, गायब था। मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सो जाओगे और कोई निकाल लेगा पर तुम माने नहीं। गिन्नियों के खोने का मुझे दुःख तो बहुत हुआ पर किसीसे क्या कहता! मेरे घर पर भी किसीने इसके लिए मुझे कुछ नहीं कहा इसलिए हो सकता है, मेरे पिताजी ने ड्राइवर को हिदायत कर दी हो कि मैं सो जाऊँ तो मेरी गिन्नियों का बटुआ निकालकर उन्हें पहुँचा दे।

गिन्नियों का प्रकरण छिड़ा है तो इनके संबंध में एक घटना मुझे और याद आ रही है जिसका वर्णन यहाँ करके ही मैं चर्चा आगे बढाऊँगा यद्यपि वह घटना बहुत बाद की है जब मैं वयस्क हो चुका था। यह घटना सत्य होने पर भी अलिफलैला की कहानी की तरह है। 1960-62 की बात है, मेरा तृतीय पुत्र अशोक कुमार, जो इस समय इंजिनियर होकर अमेरिका में सपरिवार बस गया है, 7-8 वर्ष का था। वह भोर में जब हम लोग सो रहे थे, जाग गया। पता नहीं उसके जी में क्या आया, वह सिरहाने की एक आलमारी खोलकर उसका सामान उलटने-पलटने लगा। उसमें एक डिब्बे में 5-6 गिन्नियाँ और दो-तीन सोने की मुहरें असावधानी से पड़ी रह गयी थीं। सोने की चमकदार गिन्नियों को और असर्फियों को उसने चमकदार चवन्नी समझ लिया और मकान से उतरकर सामने की चाय की दुकान पर चला गया और एक गिन्नी दिखाकर दुकान के नौकर से बोला, 'मैं इतनी चमकदार चवन्नी लाया हूँ, खूब अच्छी चाय पिलाओ।' दुकान के नौकर की आँखें फैल गयीं। गिन्नी लेकर उसने खूब प्रेम से चाय पिलायी। फिर बोला 'बाबू मैं जलेबी भी ला देता हूँ। वैसी चवन्नी और दो।' गिन्नी के साथ मोहरें देखकर, उन्हीं पर उसने हाथ साफ करना ठीक समझा और इस प्रकार दो मोहरे और एक गिन्नी ऐंठ ली। इसके बाद मेरा पुत्र सामने के एक बनिये की दुकान पर गया और एक मुहर देकर चना-मूरी ले आया। जब वह कमरे में चना-मूरी खा रहा था, मैं जाग गया। मैंने उससे पूछा कि यह मूरी कहाँ से लाया तो उसने बची हुई गिन्नी दिखाते हुए मुझे कहा कि इसीसे मैंने खरीदी है। अब तो मेरे होश उड़ गये। चाय की दुकान पर और मोदी की दुकान पर मैं गया तो वे दोनों साफ इन्कार कर गये कि हमने तो इस बालक को देखा ही नहीं। मैं भागा-भागा कोतवाली गया जो हमारे घर से दो तीन सौ गज से अधिक की दूरी पर नहीं थी। सिपाही उस चायवाले को पकड़कर थाने में ले आया। सर्दियों के दिन थे। उसने वेश बदलने के विचार से सिर पर गुलूबंद लपेट लिया था। मेरे पुत्र से जब पूछा गया कि क्या इसी व्यक्ति को तुमने गिन्नी और मोहरें दी थीं तो उसने कहा, 'मुँह यही था पर गुलूबंद में

लिपटा हुआ नहीं था।' दरोगा को हँसी आ गयी। उसने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, 'गिन्नी और अशर्फी लेनेवाला निश्चित रूप से यही व्यक्ति है परंतु पुलिस-केस से मामला उलझ जायगा। आप डरा-धमकाकर यों ही उन्हें हासिल करने का प्रयत्न करें।' फलतः, मैं थाने से वापस उसी चाय की दुकान में उस कर्मचारी के साथ लौट आया। उस चायदुकान के एक अन्य कर्मचारी ने मुझसे कहा कि बाबू मैं आपकी दोनों अशर्फियाँ और एक गिन्नी हासिल करा दूँगा मुझे क्या इनाम मिलेगा। मैंने कहा मैं एक गिन्नी तुम्हें दे दूँगा। उस कर्मचारी ने उसको डराया कि पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही थी, मैंने दो घंटे का समय माँगा है, या तो वे तीनों चीजें लाकर मुझे दे दे नहीं तो पुलिस तुम्हें पीटेगी भी और जेल में भी वर्षों सड़ना पड़ेगा।' चोर तो वह था ही क्योंकि जैसा कि उस कर्मचारी ने बताया, वह कई बार नदी की ओर उस स्थान पर छुट्टी लेकर जा रहा था जहाँ उसने वे मुहरें और गिन्नी गाड़ रक्खी थीं। डर से वह उक्त कर्मचारी के साथ नदी पर गया और बालू में दो तीन हाथ खोदकर उसने वे दोनों मुहरें और गिन्नी निकालीं और लाकर मुझे दे दीं जिसमें से 1 गिन्नी मैंने इनाम में उस सहायक कर्मचारी को दे दी। अब रही उस बनिये को दी गयी अशर्फी की बात। उसमें मेरे मित्र सोहनलाल ने जिसे मैंने नगरपालिका में अपना वैकल्पिक प्रत्याशी बनाया था और जो बाद में लोभवश मेरे विरुद्ध कांग्रेस का प्रत्याशी बन गया था, बीचबचाव किया। उसने कहा कि बनिया कहता है कि अशर्फी लौटाने से सारे मुहल्ले में उसकी इज्जत धूल में मिल जायगी, इसलिए आप उसकी आधी कीमत लेकर उसे बरी कर दें। मैं अपनी दो मुहरें पाकर प्रसन्न था। मैंने उसकी बात मान ली। और इस प्रकार यह गिन्नी और मुहरों का प्रकरण समाप्त हुआ। इस घटना के बाद मेरे पुत्र ने कहा कि मैं गया में नहीं पढ़ूँगा क्योंकि यहाँ स्कूल में मुझे मेरे सहपाठी गिन्नीचोर कहकर चिढ़ाते हैं। फलतः मुझे अपने लड़के को प्रतापगढ़ उसकी नानी के पास भेजना पड़ा जहाँ रहकर उसने इलाहाबाद से अपनी विज्ञान की पढ़ाई चालू रक्खी और बाद में बी. आइ. टी. राँची, आई. आई. टी. कानपुर और रुड़की इंजिनियरिंग कालेज, तीनों की प्रवेश-परीक्षा में सफल हो गया और रुड़की में भर्ती होकर वहीं से ससम्मान इंजीनियर बनने में समर्थ हुआ। आज वह अमेरिका का नागरिक बनकर वहाँ मेरे नगर के पास ऐक्रोन नगर में ही अपने परिवार के साथ रहता है।